

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़
आदेश क्रमांक 23/434-2001-वि० 1 (3) दिनांक चण्डीगढ़ 14-9-2001

श्री नर्स पब्लिक स्कूल दरड (करनाल)

को कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशनस नई दिल्ली से
10+2 स्तर की सम्बन्धित लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी
किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की
हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के
जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागिय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र
वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

दिनांक चण्डीगढ़ 17-9-01

पृष्ठांकन क्रमांक


सम

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी करनाल को उनके पत्र क्रमांक EIV/2001/
5504 दिनांक 29-8-2001 के सन्दर्भ में।

2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक श्री नर्स पब्लिक स्कूल
दरड (करनाल)

3. सचिव कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशनस, प्रगति
हाऊस, तीसरा तल, 47-48 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019.


अधीक्षक विद्यालय-14/9
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़.